पत्र संख्या/ 32 /लम्बित रिफण्ड मैनुअल प्रार्थना पत्र निस्तारण/ 2020–21/ वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनॉक 27 मई, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– लम्बित मैनुअल जी0एस0टी0 रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का प्रत्येक दशा में दिनांक 30 जून, 2020 तक निस्तारण किए जाने के संबंध में।

जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर ऑनलाईन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों से एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड के आहरण हेतु मैनुअल व्यवस्था शासनादेश संख्या– क0नि0–4–219/11–2018/300(5)/18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 तथा शुद्धिपत्र संख्या– क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनांक 21 मार्च, 2018 से लागू की गयी थी। इन शासनादेशों से मैनुअल रिफण्ड की समय–सीमा दिनांक 30.06.2018 तक प्रभावी की गयी थी जिसे शासनादेश संख्या– क0नि0–4–785/11–2018–300(5)/18 दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक, शासनादेश संख्या– क0नि0–4–08/11–2019–300(5)/18 दिनांक 05.02.2019 से दिनांक 30.06.2019 तक शासनादेश संख्या–क0नि0–4–617/11–2019–300(5)/18 दिनांक 24.06.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक तथा अंतिम रूप से शासनादेश संख्या–क0नि0–4–894/11–2019/300(5)/18 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 31.12.2019 तक बढाया गया।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक 26 सितम्बर, 2019 से जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर ऑनलाईन रिफण्ड की व्यवस्था लागू हो गयी तथा ऑनलाईन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत् है। दिनांक 26 सितम्बर 2019 के पश्चात प्रत्येक रिफण्ड दावा ऑनलाईन माड्यूल पर ही दाखिल किया जा रहा है तथा दिनांक 26 सितम्बर, 2019 के बाद कोई भी नया मैनुअल रिफण्ड प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने की व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–54(7) में Proper officer के स्तर से रिफण्ड दावों के निस्तारण की समय–सीमा 60 दिन निर्धारित है। **रिफण्ड दावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्यालय सदैव संवेदनशील रहा है, मुख्यालय द्वारा रिफण्ड प्रक्रिया/रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में पूर्व में 15 परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में लम्बित प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं। उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी मैनुअल रिफण्ड दावे का निस्तारण हेतु अवशेष रहना अपेक्षित नहीं था।**

3. माह जनवरी, 2020 में मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के बाद भी मैनुअल रिफण्ड व्यवस्था के तहत रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण अवशेष है, जिसके आधार पर परिपत्र संख्या–883/लम्बित रिफण्ड मैनुअल प्रार्थना पत्र/सूचना–प्रारूप/2019–20/वाणिज्य कर दिनांक 29 जनवरी, 2020 जारी करते हुए प्रारूप–क, ख, ग तथा घ में सभी जोन्स में लम्बित मैनुअल रिफण्ड के ऑकडे संकलित किये गये। संकलित ऑकडों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पूरे प्रदेश में 1749 रिफण्ड दावे (पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में) निस्तारण हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के बाद भी अवशेष थे। इन ऑकडों को संदर्भित करते हुए शासन से मैनुअल रिफण्ड दावों से आच्छादित एस0जी0एस0टी0 का अंश कोषागार से वितरित कराये जाने हेतु मैनुअल रिफण्ड दावों के निस्तारण के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था की समय–सीमा को दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। शासन द्वारा शासनादेश संख्या–स0क0–4–309/11–2020–300(5)/18 दिनांक 30 मार्च, 2020 से यह समय–सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से बढाकर दिनांक 31 मार्च, 2020 की गयी। कोविड–19 जनित परिस्थितियों में लम्बित रिफण्ड दावों का निस्तारण दिनांक 30 एवं दिनांक 31 मार्च, 2020 की समयावधि में सम्भव नही

Scanned by CamScanner

था। अतः शासन से यह समय–सीमा बढाये जाने का पुनः अनुरोध किया गया जिसके आधार पर शासनादेश संख्या–रा0क0–4–304/11–2020–300(5)/19 दिनांक 21 मई, 2020(प्रति संलग्न) से यह समय–सीमा दिनांक 30 जून, 2020 तक बढायी गयी है। उल्लेखनीय है कि कोविड–19 जनित परिस्थितियों में लॉकडाउन के उपरान्त सभी विभागीय कार्यालय सुचारू रूप से पूर्ववत् खोले जा रहे हैं।

उक्त समग्र तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लम्बित मैनुअल रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण की समय–सीमा भविष्य में बढाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लम्बित मैनुअल रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

i. प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–रा0क0–4–304/11–2020–300(5)/19 दिनांक 21 मई, 2020 की प्रति संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को अविलम्ब प्राप्त करा दी जाएगी तथा यह अवगत कराया जाएगा कि यह व्यवस्था दिनांक 30 जून, 2020 तक ही प्रभावी है।

ii. प्रत्येक Proper officer द्वारा लम्बित मैनुअल रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों के संबंध में वांछित आदेश भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारी को प्रत्येक दशा में दिनांक 07 जून, 2020 तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

iii. प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अभियान चलाकर रिफण्ड दावों के भुगतान विषयक देयक प्रत्येक दशा में दिनांक 15 जून, 2020 तक कोषागार को प्राप्त करा दिये जायेंगे।

iv. दिनांक 31 मई, 2020 तक प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा केन्द्रीय कर के अधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक जोन में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, नोडल अधिकारी द्वारा केन्द्रीय कर प्रशासन के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केन्द्रीय क्षेत्राधिकार से अपेक्षित सभी मैनुअल रिफण्ड दावे एस0जी0एस0टी0 अंश के कोषागार से भुगतान हेतु दिनांक 10 जून, 2020 तक विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को प्राप्त करा दिये जाएं।

विस्तारित समय–सीमा के पश्चात एक भी मैनुअल रिफण्ड प्रार्थना–पत्र लम्बित पाए जाने पर इस शिथिलता हेतु जिम्मेदार Proper officer अथवा आहरण वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने पर विचार किया जाएगा। मैनुअल रिफण्ड दावों का समयबद्ध निस्तारण कराना संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/वि0अनु0शा0 तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)/जोनल एडीशनल कमिश्नर का व्यक्तिगत दायित्व होगा। **किसी भी सम्भाग/जोन में शासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा के पश्चात कोई भी मैनुअल रिफण्ड दावा निस्तारण हेतु लम्बित पाए जाने पर यह संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)/जोनल एडीशनल कमिश्नर की प्रशासनिक शिथिलता मानते हुए उनके विरूद्ध तदनुरूप कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।**

कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुए सभी लम्बित मैनुअल रिफण्ड दावों का शासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–4
संख्या–रा0क0–4–304/11–2020–300(5)/18
लखनऊ::दिनांक 26 21 मई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रकिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018–300(5)/2018, दिनाँक 23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनाँक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 30.03.2020 द्वारा इस प्रकिया को दिनांक 31.03.2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे सम्यक विचारेपरान्त पुनः दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनाँक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–41/दस–2020, दिनाँक– 20 मई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

नीरजा कुरील
संयुक्त सचिव।

सं0–रा0क0–4–304(1)/11–2020, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

कमिश्नर
26.5.2020

33
26-05-2020

Scanned by CamScanner